

I/150624/2022

संख्या-पी-15/81-2-2022-800(38)/2022

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2022

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या-62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 बांयी पटरी पर ग्राम चरखेला तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अदर्स/31275/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2079/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/31275/2018 दिनांक 11.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई हैं :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-10 में प्रस्तावित स्थल टाइगर रिजर्व की 10 किमी० की सीमा का कथन अंकित किया गया है ?
2. पृष्ठ-19 के बिन्दु-ए एवं बी में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रस्ताव कार्योपरान्त स्वीकृति से सम्बन्धित है ?
3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात उल्लंघन किया गया है अथवा प्रस्तुत करने के पूर्व उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किया जाय ? भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाय।
4. भू-स्वामित्व वाले विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह

(आ.पी.सी. सं. 2022 17:08:43)

अनुमोदित/Approved